# e/;in'k 0;kolkf;d ijh{kk e.My] Hkkiky

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल – 462011
फोन नं. 0755–2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755–2550498
ई–मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाईट : www.vyapam.nic.in

## ouj{kd ds fjDr inks dh Hkrh gr p;u ijh{kk&2015
## ijh{kk lpkyu ,o Hkrh fu;e ifLrdk

| | | | |
|---|---|---|---|
| ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि | | | 29.04.2015 |
| ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि | | | 28.05.2015 |
| आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि | | | 29.05.2015 |
| आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि | | | 04.06.2015 |
| परीक्षा दिनांक व दिन | | | 16.08.2015 (रविवार) |
| परीक्षा शुल्क | सीधी भर्ती के पदो हेतु | अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये | रु. 500/– |
| | | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिये ( केवल म.प. के मूल निवासियो के लिये ) | रु. 250/– |
| | बैगा, सहारिया एवं भारिया विशेष अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये | | कोई परीक्षा शुल्क नही |
| ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एम.पी. ऑनलाईन का पोर्टल शुल्क रू. 70/– देय होगा। | | | |

## le; lkj.kh

| परीक्षा, दिनांक एवं दिन | परीक्षा प्रारम्भ समय | उत्तरशीट्स वितरण समय | उत्तरशीट में आवश्यक जानकारियॉं भरने का समय | प्रश्न–पत्र वितरण समय | प्रश्न–पत्र परीक्षण का समय | उत्तरशीट में उत्तर भरने का समय |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2015 (रविवार) | प्रातः 10:00 बजे से | प्रातः 10:00 बजे से | प्रातः 10:00 से 10:10 बजे तक (10 मिनट) | प्रातः 10:10 बजे | प्रातः 10:10 से 10:15 बजे तक (05 मिनट) | प्रातः 10:15 से 12:15 बजे तक (2:00 घंटे) |

टिप्पणी :–

1. परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के समय से 15 मिनट पश्चात तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात् परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
2. परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व ओ.एम.आर. उत्तरशीट वीक्षक को अनिवार्य रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा एवं व्हाईटनर आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
4. ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक के द्वारा ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन–पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
5. परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन, परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश–पत्र के साथ साथ **मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, अंकसूची मय फोटोग्राफ, बैक पासबुक मय फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट में से कोई एक अथवा उसके द्वारा अतिरिक्त रूप से चयनित अन्य** फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
6. अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्तानुसार फोटोयुक्त पहचान पत्र परीक्षा तिथि पर **साथ नही लाने की स्थिति में ही** मण्डल द्वारा जारी प्रवेश–पत्र (टी.ए.सी.) के द्वितीय भाग में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में प्रयोग किया गया फोटो लगाकर **राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर लाना अनिवार्य होगा** , परीक्षार्थी को तभी परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्रता होगी।
7. मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करते हुये हॉर्डकॉपी में आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि तक निर्धारित प्रारूप (नियम पुस्तिका के प्रारूप–3) में चयनित जिले के प्रभारी/नोडल अधिकारी को आवेदन पत्र प्रेषित करना होगा। सभी जिले प्रभारी के पते की सूची पृष्ठ क्र. 33 से 35 पर दी गई है ।

# e/;izns'k O;kolkf;d ijh{kk e.My] Hkksiky

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल – 462011
फोन नं. 0755–2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755–2550498
ई–मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाईट : www.vyapam.nic.in


## dk;kZy; iz/kku eq[; ou laj{kd] e/;izns'k 'kklu] ou foHkkx] lriqM+k Hkou] Hkksiky ds varxZr ouj{kd ds fjDr inks ij HkrhZ gsrq p;u ijh{kk & 2015

## fo"k; lwph


| l-Ø- | | fooj.k | i"B Ø- |
|---|---|---|---|
| 1. | v/;k;&1 | कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल के अंतर्गत वनरक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु चयन ijh{kk & 2015 के लिए विभागीय नियम | 1–12 |
| 2. | ifjf'k"V&1 | वनरक्षकों की भर्ती हेतु रिक्त पदों की जिलेवार, श्रेणीवार व संवर्गवार क्षैतिज आरक्षण तालिका | 13–14 |
| 3. | v/;k;&2 | मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल के परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश | 15–27 |
| 4 | ikB~;Øe | परीक्षा का पाठ्यक्रम | 28–29 |
| 4. | izk:i&1 | प्रश्न–पुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन | 30 |
| 5. | izk:i&2 | आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन | 31 |
| 6 | izk:i&3 | बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप | 32 |
| 7 | lwph | बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियो जिलेवार आफ लाईन आवेदन पत्र भरे जाने हेतु शहरवार पता एवं दूरभाष सूची | 33–35 |

# v/;k; & 1

## dk;ky; i/kku e[; ou lj{kd] e/;in'k 'kklu] ou foHkkx]
## lriMk Hkou] Hkkiky d vrxr ouj{kd p;u ijh{kk & 2015

1-1 lkekU; %&

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल का पत्र क्रमांक/क्षे.स्था.–2/1873, भोपाल, दिनांक 09.04.2015 अनुसार वन विभाग के अंतर्गत कुल रिक्त 2400 वनरक्षकों के पदों पर भर्ती ijh{kk & 2015 हेतु आवेदन पत्र कर रहे सभी आवेदकों पर यह निर्देश लागू होंगे। mYyf[kr fjDr ink dh l[;k e ftyk d jkLVj vulkj deh ;k of) dh tk ldrh gA

1-2 ifjHkk"kk,a %&

(अ) bu fun'kk e J.kh l rkRi;l Jf.k;k vukjf{kr] vU; fiNMk oxl ]vulfpr tkfr ,o vulfpr tutkfr l gkxkA

(ब) ^^vkj{k.k** से अभिप्रेत है सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए पदों का आरक्षण।

vU; fiNM oxk से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ–85/पच्चीस/484 दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 में यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग ।

^vulfpr tkfr** से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें का यूथ, जिसे संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

^vulfpr tutkfr** से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ, जिसे संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(स) ^^Hkrh dk o"k** l vfHkir g pky o"k dh igyh tuojh dk ikjEHk gku okyh ckjg ekl dh dkykof/k] ftld Hkhrj lh/kh Hkrh dh ifØ;k ikjEHk dh tkrh gA

(द) ^^e.My** से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल।

(य) ^^foHkkx** से अभिप्रेत है e-i- 'kklu] ou foHkkxA

1-3 inuke] osrueku rFkk 'k{kf.kd ;kX;rk %&

| पदनाम | वेतनमान | शैक्षणिक योग्यता |
|---|---|---|
| वनरक्षक<br>कुल पद– 2400 | 5200–20200<br>+1900 ग्रेड पे | मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल से अथवा मान्यता प्राप्त समकक्ष संस्थान से पुरानी पद्धति से हायर सेकेण्डरी अथवा 10+2 पद्धति से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण। |

1-3-1 vkj{k.k rkfydk %&

| सक्र. | श्रेणी | बिना वर्ग | | भूतपूर्व सैनिक | होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक | | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | | ओपन | महिला | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 1018 | 156 | 156 | 211 | 23 | 1564 |
| 2. | अनुसूचित जाति (SC) | 163 | 24 | 24 | 34 | 3 | 248 |
| 3. | अनुसूचित जनजाति (ST) | 231 | 36 | 36 | 48 | 5 | 356 |
| 4. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 151 | 23 | 23 | 31 | 4 | 232 |
| | ;kx%& | 1563 | 239 | 239 | 324 | 35 | 2400 |

Vhi&(1) जिलेवार सीधी भर्ती से भरे जाने वाले वनरक्षकों पदों की जानकारी परिशिष्ट–1 में देखें।
जिलेवार दर्शित वनरक्षक के पदों की संख्या, जिसमें भर्ती प्रस्तावित है, vuekfur g।
भर्ती के समय संबंधित जिले के रोस्टर अनुसार तत्समय उपलब्ध रिक्त पदों के विरूद्ध भर्ती की जा सकेगी।

(2) वनरक्षक फील्ड का पद होने के कारण विकलांगों को भर्ती में शामिल करने का प्रावधान नहीं j[kk x;k है। म.प्र. शासन सामाजिक न्याय विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–2–13–2011–26–1 दिनांक 21 सितम्बर 2011 द्वारा वनरक्षक के पदों पर fu'k'kDr tuk dh fu;fDr l NV प्रदान की गई है ।

(3) म0प्र0 शासन वन विभाग की अधिसूचना क्र.एफ. 3–47–2008–10–1 दिनांक 09.06.2008 द्वारा वनरक्षक के पद पर भर्ती के लिए 10 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित किए गये है, तद्नुसार महिला हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान रखा गया ह।

(4) म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र.एफ 9–1–2009/आ.प्र./एक दिनांक 13.07.2009 द्वारा भूतपूर्व सैनिक के लिए श्रेणी में 10 प्रतिशत पद आरक्षित करने के निर्देश है, तद्नुसार भूतपूर्व सैनिक हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान रखा गया है।

(5) म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. सी–3/04/2013/1/3 दिनांक 06.03.2013 द्वारा होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक हेतु 15 प्रतिशत पद आरक्षित करने के निर्देश है, तद्नुसार होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक हेतु 15 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान रखा गया है।

1-3-2 vkj{k.k l lcf/kr Li"Vhdj.k %&

1. आरक्षित वर्ग अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में vufoHkkxh; vf/kdkjh द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण–पत्र दस्तावेजों/प्रमाण–पत्रों के सत्यापन/परीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

2. भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र दस्तावेजों/प्रमाण–पत्रों के सत्यापन/परीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

3. म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी राजपत्र क्रमांक 337 दिनांक 02.08.2014 अनुसार आदिम जनजातियों के लिये विशेष उपबंधः–यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की lgkfj;k आदिम जनजाति अथवा जिला मण्डला, डिण्डौरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनुपपूर की cSxk आदिम जनजाति अथवा जिला छिन्दवाडा के तामिया विकासखण्ड की Hkkfj;k जनजाति का है, संविदा शाला शिक्षक या तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद के लिये या वनरक्षक (कार्यपालक) के लिये आवेदन करता है और उस पद के लिये विहित की गई U;wure vgZrk रखता है, तो उसे भर्ती प्रक्रिया को अपनाए बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जाएगा''

मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजातियों के ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता को पूर्ण करते हैं, वे अनुसूचित जनजाति संवर्ग में विज्ञापित पदों के विरूद्ध अपने आवेदन पत्र, आवेदन भरने की प्रस्तावित अन्तिम तिथि तक हार्ड कापी में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों को संलग्न करते हुये सीधे नियुक्ति संबंधी कार्यवाही हेतु जिले के नोडल वनमण्डल अधिकारी को प्रेषित करेगें। ¼layXu izk:i 3 vuqlkj½

परीक्षा की तिथि के पूर्व इस प्रकार प्राप्त आवेदनों के परीक्षण उपरान्त नियुक्ति संबंधी कार्यवाही वन विभाग द्वारा सुनिश्चित की जावेगी। अनुसूचित जनजाति संवर्ग के संशोधित पदों की संख्या बावत् एक संक्षिप्त संशोधन विज्ञापन जारी किया जायेगा, यदि पदों की संख्या में कोई परिवर्तन होता है । इसके पश्चात् अनुसूचित जनजाति के संशोधित पदों तथा अन्य श्रेणियों के पदों के लिये परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित कराया जाना प्रस्तावित होगा । इस प्रकार जारी विज्ञापन में अनुसूचित जनजाति के पदों की संख्या परिवर्तनीय होगी जो विशेष आदिम जनजाति समुदायों के अतिरिक्त अन्य अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये बंधनकारी होगी । इस प्रकार अनुसूचित जनजाति संवर्ग के रिक्त पदों के विरूद्ध बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों की नियुक्ति उपरान्त शेष रिक्तियों हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिये मध्यप्रदेश शासन के आरक्षण नियमानुसार परीक्षा परिणाम जारी किया जायेगा ।

## 1-4 ukxfjdrk ,oa LFkkbZ fuokl h ds lca/k esa %&

(I) पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को या तो :–

(क) आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिये, या

(ख) आवेदक को सिक्किम की प्रजा होना चाहिये, या

(ग) भारतीय मूल का कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के अभिप्राय से पाकिस्तान से आया हो, या

(घ) नेपाल की या भारत स्थित किसी पुर्तगाली या फ्रांसीसी प्रदेश की प्रजा होना चाहिये।

टिप्पणी :–

1. उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) में निर्दिष्ट उम्मीदवारों की नियुक्ति उनके पक्ष में राज्य शासन द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के अध्यधीन होगी। उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के संबंध में पात्रता का प्रमाण–पत्र उसकी नियुक्ति के दिनांक से केवल एक वर्ष की अवधि के लिये ही वैध होगा और उसके पश्चात् उसे सेवा में केवल उस स्थिति में ही रखा जा सकेगा, यदि वह भारत का नागरिक बल जाए, तथापि पात्रता के प्रमाण–पत्र निम्नलिखित किसी एक प्रवर्ग के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों के मामले में आवश्यक नहीं होंगे।

    (i) ऐसे व्यक्ति, जो 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान से भारत आये थे और तब से भारत में मामूली तौर से, निवास कर रहे हैं।

    (ii) ऐसे व्यक्ति जो 18 जुलाई 1948 के पश्चात् पाकिस्तान से भारत आये थे और जिन्होंने स्वयं को भारत के नागरिक के रूप में पंजीयत करा लिया है।

    (iii) उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) के अंतर्गत आने वाले गैर नागरिक जो संविधान के प्रारंभ होने अर्थात् दिनांक 26 जनवरी 1950 के पूर्व शासन की सेवा में प्रविष्ट हुए थे और जो उस समय से अभी तक ऐसी सेवा में है।

2. किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो इस बात के अध्यधीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण–पत्र अंततः जारी कर दिया जाए।

3. अभ्यर्थी के पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण–पत्र तहसीलदार/नायब तहसीलदार स्तर से नीचे का न हो तथा जिसे प्रमाण–पत्र परीक्षण/सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

(II) ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित/ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा।

## 1-5 e/;in'k d LFkkbl fuoklh vkondk d fy, vk;| lhek %&

vf/kdre vk;| lhek e mijkDr NV मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही उपलब्ध होगी। इस चयन परीक्षा के लिये मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा दिनांक 01 जनवरी 2015 को कालम में दर्शाई गई आयु सीमा से अधिक नही होनी चाहिये:–

| स0क्र0 | आवेदक | श्रेणी | अधिकतम आयु सीमा |
|---|---|---|---|
| 01 | पुरूष | अनारक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी | 30 वर्ष |
| 02 | पुरूष | आरक्षित श्रेणी (अनु0जाति/अनु0जजा/अपिवर्ग) का अभ्यर्थी | 35 वर्ष |
| 03 | पुरूष | सभी श्रेणी के शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी/होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक अभ्यर्थी | 38 वर्ष |
| 04 | महिला | अनारक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी | 30 वर्ष |
| 05 | महिला | आरक्षित श्रेणी (अनु0जाति/अनु0जजा/अपिवर्ग) का अभ्यर्थी | 35 वर्ष |
| 06 | महिला | सभी श्रेणी के शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी/होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक अभ्यर्थी | 38 वर्ष |
| 07 | महिला | अनारक्षित श्रेणी की विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा अभ्यर्थी | 35 वर्ष |
| 08 | महिला | आरक्षित श्रेणी (अनु0जाति/अनु0जजा/अपिव) की विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा | 40 वर्ष |
| 09 | पुरूष/महिला | अनारक्षित श्रेणी एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड अभ्यर्थी | 32 वर्ष |
| 10 | पुरूष/महिला | आरक्षित वर्ग एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड अभ्यर्थी | 37 वर्ष |
| 11 | पुरूष/महिला | अनारक्षित श्रेणी एवं अर्न्तजातीय विवाह | 35 वर्ष |
| | पुरूष/महिला | अनारक्षित श्रेणी एवं विक्रम पुरूष्कार विजेता | 35 वर्ष |
| 12 | पुरूष/महिला | आरक्षित श्रेणी (अनु0जाति/अनु0जजा/अपिवर्ग) एवं विक्रम पुरूष्कार विजेता | 40 वर्ष |
| 13 | पुरूष | अनारक्षित–भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी | 33 वर्ष |
| 14 | पुरूष | आरक्षित श्रेणी– भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी ( अनु0जाति/अनु0जजा/अपिवर्ग ) | 38 वर्ष |

नोटः– अधिकतम आयु सीमा में उपलब्ध उपरोक्त सभी प्रकार की छूटें मध्यप्रदेश की मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही उपलब्ध होंगी। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी को उपरोक्त छूटें अथवा आरक्षण प्राप्त नहीं होगा तथा अन्य राज्यों के अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में ही शामिल होने की पात्रता होगी।

किसी भी अन्य प्रकरण में आयु सीमा शिथिल नहीं की जायेगी। उच्चतर आयु सीमा में शिथिलता चाहने वाले उम्मीदवारों को तदाशय का निर्धारण प्रारूप के प्रमाण–पत्र सत्यापन के समय पेश करना होगा। जाति प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही मान्य होगा ।

1-5-1 e/;izn'k d LFkkbZ fuoklh vkondk dk ikRlkgu Lo:i nh tku okyh NV %&

(अ) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड धारण करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(ब ) आदिम जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अर्न्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत उच्च जाति के पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(स) ''विक्रम पुरस्कार'' प्राप्त अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

1-5-2 e/;izn'k d LFkkbZ fuoklh vkondk d fy, vk;q lhek d lca/k e vU; fooj.k %&

(क) ;fn vH;FkhZ vuqlfpr tkfr@vuqlfpr tutkfr dk lnL; gk rk mPprj vk;q lhek e vf/kdre 05 o"kZ dh NwV nh tkoxhA

(ख) mu vH;kfFk;k d lca/k e]tk e/;izn'k 'kklu d deZpkjh gk vFkok deZpkjh jg pqd gk]mPprj vk;q lhek e uhp fofufn"V dh x;h lhek rd rFkk 'krk d v/;/khu jgr g, NwV nh tk;xh %&

(1) ,l vH;kFkhZ tk LFkkbZ 'kkldh; lod gk] 38 o"kZ l vf/kd vk;q dk ugh gkuk pkfg;A

(2) mijkDr fj;k;r vkdfLedrk fuf/k l orru ikus oky deZpkfj;k] dk;ZHkkfjr deZpkfj;k dk Hkh vuqK; gkxhA

(3) ऐसे अभ्यार्थी को जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो,अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं के कारण हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा,परन्तु उसके परिणामस्वरुप प्राप्त आयु उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

Li"Vhdj.k % शब्द ''छटनी किया गया शासकीय सेवक'' ऐसे व्यक्ति का द्योतक है, जो इस राज्य की या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में लगातार कम से कम 6 मास की कालावधि तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन–पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो।

(4) ,l vH;kFkhZ dk] tk Hkwriwo lSfud gk] viuh vk;q e l mlds }kjk iwoZ e dh x;h lHkh ifrj{kk lok dh dkykof/k de dju d fy; vuqKkr fd;k tkoxk] fdUrq mlds ifj.kke Lo#i tk vk;q fudy og mPPrj vk;q lhek l 3 o"kZ l vf/kd u gkA

Li"Vhdj.k % शब्द'' भूतपूर्व सैनिक'' ऐसे व्यक्ति का द्योतक है, जो निम्नलिखित प्रवर्गो में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 मास की निरंतर कालावधि तक निरंतरनियोजित रहा हो तथा किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन–पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व मितव्ययता इकाई की सिफारिश के फलस्वरुव अथवा स्थापना में सामान्य रुप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गयी हो या अधिशिष्ट घोषित किया गया हो।

(i) ऐसे भूतपूर्व सैनिक,जिन्हें सेवानिवृत्त रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन सेवामुक्त किया गया हो।

(ii) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो दूसरी बार भर्ती किये गये हों और

(क) अल्पकालिक वचनबद्ध अवधि पूर्ण हो जाने पर

(ख) भर्ती संबंधी शर्तो के पूर्ण हो जाने पर सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(iii) मद्रास सिविल इकाई के भूतपूर्व कार्मिक ।

(iv) ऐसे अधिकारी (सैनिक अथवा असैनिक अथवा अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी) जो उनकी संविदा के पूर्ण होने पर सेवा मुक्त किये हो।

(v) ऐसे कर्मचारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर 6 माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के बाद सेवामुक्त किया गया हो।

(vi) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो।

(vii) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवामुक्त किया गया हो कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं।

(viii) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लगने,घाव आदि के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग किया गया हो।

(ix) fo/kok] fujkfJr@rykd'kqnk efgyk vH;kfFkZ;ksa ds lac/k esa mPPrj vk;q lhek 05 o"kZ rd f'kfFkyuh; gksxhA

(x) ,sls vH;kfFkZ;ksa dh tks e/;izns'k jkT; fuxeksa@eaMyksa ds deZpkjh gSa]mPPkrj vk;q lhek vf/kdre 38 o"kZ dh vk;q rd f'kfFkyuh; gksxhA

(xi) Lo;alsoh] uxj lsfud rFkk uxj lsok ¼gkse xkMZ½ ds uku deh'kaM vf/kdkfj;ksa ds ekeys esa mudsa }kjk bl izdkj dh xbZ lsok dh dkykof/k ds fy;s mPPrj vk;q 8 o"kZ rd dh lhek ds v/;/khu jgrs gq, f'kfFkyy dh tkosxhA fdUrq fdlh Hkh ekeys esa mudh vk;q 38 o"kZ ls vf/kd ugha gksuk pkfg;sA

fVIi.kh¼1) ,sls vH;Fkh] tks mi;qZDr [k.M¼[k½ ds mi[k.M ¼1½ ,oa ¼2½ esa of.kZr vk;q lhek vk;q fj;k;rks ds v/khu p;u gsrq ik= ik;s x;s gSa] ;fn os vkosnu&i= izLrqr djus ds le'pkr p;u ds iwoZ ;k mlds le'pkr lsok ls R;kx&i= nsrs gSa rks fu;qfDr ds ik=k ugha gksxs rFkkfi ;fn vkosnu&i= izLrqr djus ds le'pkr mudh lsok vFkok in ls NVuh dh tkrh gS rks os ik= cus jgsxs A

(2) fdlh Hkh vU; ekeys esa ;s vk;q lhek,a f'kfFky ugha dh tk;sxh A foHkkxh; vH;kfFkZ;ksa dks p;u ds fy;s mifLFkr gksus gsrq fu;qfDr vf/kdkjh dh iwoZ vuqKk vfHkizkIr djuh gksxhA

(3) 'kklu ds ekunaM; ij ;k lafonk ij dk;Z djus okys vU; Lo;a lsfo;ksa ;k dfeZ;ksa rFkk **f'k{kk deh** **iapk;r deh** vkfn dks vk;q esa NwV lfo/kk izkIr ugha gksxhA

(4) tks vH;FkhZ vk;q lhek esa NwV pkgrs gSa] l{ke vf/kdkjh }kjk tkjh fu/kkZfjr izek.k&i=] ijh{k.k@lR;kiu ds le; izLrqr djuk gksxkA

(5) ;fn dksbZ vkosnd fu/kkZfjr vf/kdre vk;q lhek esa NwV ds ykHk ds fy;s ,d ls vf/kd vk/kkj j[krk gS] rks mls vf/kdre ykHk okys fdlh ,d vk/kkj ds fy;s fu/kkZfjr vf/kdre vk;q lhek esa gh NwV dk ykHk izkIr gksxkA

## 1-6 vH;fFkZrk@p;u ds lac/k esa fugZrk,a@tkudkjh %

1. पररूपधारण।

2. पुरूष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों। इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, ऐसे मामलों में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

3. जिसकी दो से अधिक संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या इसके पश्चात हुआ है। परन्तु निरर्हित नहीं होगा कि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतानों का जन्म होता है।

4. जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का दोष ठहराया गया हो तथा पुलिस वैरिफिकेशन में शासकीय सेवा के लिए अपात्र पाये जाने की स्थिति में।

## 1-7 p;u izfØ;k ds pj.k@vk/kkj %

(1) वनरक्षकों के पदों पर चयन हेतु मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा लिखित परीक्षा तथा मध्यप्रदेश वन विभाग द्वारा साक्षात्कार व शारीरिक क्षमता परीक्षण लिया जायेगा। लिखित परीक्षा में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 33% एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 23% अंक अर्जित करना अनिवार्य है।

(2) साक्षात्कार के लिए 9 अंक निर्धारित है। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

(3) प्रत्येक जिले के लिए अधिसूचित प्रवर्गवार अनुमानित पदों की संख्या के आधार पर तीन गुना अभ्यर्थियों को मेरिट के अनुसार साक्षात्कार, शारीरिक माप एवं पैदल चाल के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

(4) लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो साक्षात्कार हेतु उपयुक्त होंगे {अर्थात् जो नियम क्रमांक 1.3.1 में उल्लेखित श्रेणीवार उपलब्ध तीन गुना पदों में, (नियम क्रमांक 1.7(3)) प्रावीण्यता के आधार पर स्थान प्राप्त करते है। यदि उपलब्ध पदों की तीन गुना से भी अधिक छात्र किसी श्रेणी के अंतर्गत लिखित परीक्षा में पात्र होते है तो वह नियम1.7(3) के आधार पर द्वितीय चरण की परीक्षा हेतु अपात्र होंगे} का नाम व्यापम की वेबसाईट पर उपलब्ध कराया जायेगा, vFkkZr~ lk{kkRdkj gsrq dsoy mUgha mEehnokjksa dks vkeaf=r fd;k tk;sxk tks mlh ftys ds esfjV lwph ds vuqlkj ftys ds 03 xquk vkosfVr inksa dh la[;k ds vUrxZr vkrs gSaA dsoy 33% ;k 23% vad izkIr dj ysus ls og lk{kkRdkj gsrq ik= ugha gksxkA इसके अतिरिक्त संबंधित जिले के uksMy वन मण्डलाधिकारी के कार्यालय में भी नोटिस बोर्ड पर इनके नाम प्रदर्शित किये जायेंगे। समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

(5) ouj{kd dk in ftyk dSMj dk gS vr% esfjV lwph ftyokj ojh;rk Øe esa cukbZ tk;sxhA प्रदेश के दो जिलो Nrjiqj ,oa mTtSu में पद रिक्त नहीं है । अतः इन जिलों के अभ्यर्थी अन्य जिलों के रिक्त पदों के विरूद्ध आवेदन प्रस्तुत कर सकते है । अभ्यर्थी जिन जिलों हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगें, उनके मेरिट में आने पर उन्हीं जिलों में रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्ति की कार्यवाहीं की जावेगी ।

(6) आवेदक को अपने आवेदन–पत्र में यह दर्शाना होगा कि वह किस जिले के लिये नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा है एवं आवेदक उसी जिले के रिक्त पदों के विरूद्ध प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने का पात्र होगा एवं चयनित उम्मीदवारों को उसी जिले में नियुक्ति दी जावेगी। ,d ls vf/kd ftys ds fy, vkosnu djus ij ,sls vkosnu ekU; dj fn;s tkosaxsA

(7) vkosnd dks vius vkosnu i= esa ;g Hkh n'kkZuk gksxk fd og fdl ftys ls fyf[kr ijh{kk nsuk pkgrk gSA vkosnd e/;izns'k ds fdlh Hkh ftys ls fyf[kr ijh{kk esa lfEefyr gksus dk fodYi ns ldrk gS ysfdu ftl ftys esa vkosnd fu;qfDr pkgrk gS mlh ftys dh esfjV lwph esa mlds uke ij fopkj fd;k tk;sxk ,oa vH;fFkZ dk lk{kkRdkj o 'kkjhfjd {kerk ijh{k.k Hkh mlh lacaf/kr ftys esa vk;ksftr fd;k tk;sxk ftl ftys esa fu;qfDr pkgrk gSA

1-7-1 ikB~;Øe %

लिखित परीक्षा में माध्यमिक स्तर (10 वी स्तर ) गणित के 40 प्रश्न व सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न, इस प्रकार कुल 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र होगा । प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा, जिसमें कुल 70 अंक होंगे। प्रश्न पत्र हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में रहेगा । परीक्षा की अवधि 2:00 घंटे की होगी।

1-7-2 'kkjhfjd {kerk ijh{k.k %

(1) शारीरिक क्षमता परीक्षण वन विभाग द्वारा लिया जायेगा, जिसमें वनरक्षक पद के लिये न्यूनतम शारीरिक प्रमाप (स्टेण्डर्ड) निम्नानुसार होगा :–

| शारीरिक प्रमाप | ऊँचाई | सीना सामान्य | सीने का न्यूनतम फुलाव |
|---|---|---|---|
| पुरूष | 163 से.मी. | 79 से.मी. | 05 से.मी. |
| महिला | 150 से.मी. | अपेक्षित नहीं | अपेक्षित नहीं |

टिप्पणी–(क) अनुसूचित जनजाति के लिये पुरूष अभ्यर्थी की न्यूनतम ऊंचाई 152 से.मी. तथा महिला अभ्यार्थी की 145 से.मी. होना चाहिये ।

(ख) मध्यप्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीने के फुलाव (Chest Relaxation) में 5 से.मी. का (बिना फुलाए 74 से.मी./फुलाने के पश्चात 79 से.मी.) शिथिलीकरण किया जाएगा।

(ग) अभ्यार्थियों के शारीरिक माप वन विभाग द्वारा गठित एक समिति के द्वारा किया जाएगा। यदि कोई अभ्यार्थी समिति के प्रमाप से संतुष्ट नहीं है तो उसी समय स्थल पर प्रमाप के समय दोबारा प्रमाप कराने के लिए लिखित में अनुरोध कर घोषणा पत्र दे सकता है कि दोबारा मापने के परिणाम को अंतिम माना जायेगा एवं वह उससे सहमत रहेंगे तथा बाद में इस संबंध में कोई प्रतिवाद प्रस्तुत नहीं करेंगे। vH;fFkZ;ksa ds fyf[kr ?kks"k.kk i= ds vk/kkj ij LFky ij mifLFkr ,d vihyh; lfefr ftlesa ,d fpfdRld Hkh lfEefyr gksxk] ds }kjk iqu% ieki fd;k tk,xkA vihyh; lfefr dk fu.kZ; vfre ,oa vH;fFkZ;ksa ij cU/kudkjh gksxkA ou foHkkx }kjk fu/kkZfjr bl iz;kstu ds vk/kkj ij tks ifjeki vfre :i ls ekU; fd;k tk,xk mlds i'pkr iqu% ifjeki dh vuqefr ugha nh tk,xh] D;ksafd e0iz0 rrh; Js.kh ¼vfyfid oxhZ;½ ou lsok Hkrhh fu;e 2000 esa nkckjk 'kkjhfjd eki djus dk izko/kku ugha gSA

(2) <u>iSny pky</u>

iq:"k vH;fFkZ;ksa को 4 घंटे में 25 कि.मी. एवं efgyk vH;fFkZ;ksa को 4 घंटे में 14 कि.मी. की दूरी पैदल पूर्ण करनी होगी। यह केवल अर्हता के लिए है इसके लिए कोई अंक नहीं दिये जाएंगे। प्रत्येक अभ्यार्थी से यह अपेक्षित होगा कि वह पैदल चाल प्रारम्भ होने के 60 मिनिट पूर्व स्थल पर उपस्थित होगा। पैदल चाल प्रारम्भ होने के पश्चात् अधिकतम 30 मिनिट बाद तक ही किसी

अभ्यार्थी को पैदल चाल में भाग लेने की अनुमति दी जा सकेगी, परन्तु पैदल चाल के लिए पूर्व से निर्धारित समय तक पैदल चाल पूर्ण करना होगा। विलम्ब से पैदल चाल प्रारम्भ करने पर अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा। iSny pky izkjEHk gksus ds 30 feuV ckn mifLFkr gksus ij iSny pky esa Hkkx ysus dh vuqefr ugha nh tk;sxhA

किसी भी अभ्यार्थी को दोबारा पैदल चाल में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी, क्योंकि म0प्र0 तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा भर्ती नियम 2000 में ऐसा प्रावधान नहीं है।

**नोटः** (i) शारीरिक क्षमता परीक्षण एवं पैदल चाल में अभ्यर्थी का उपस्थित होना अनिवार्य है। इसके अभाव में नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

(ii) प्रत्येक अभ्यार्थी को साक्षात्कार, शारीरिक क्षमता परीक्षण एवं पैदल चाल में भाग लेने के लिए उन्हें जारी admit Card लाना अनिवार्य होगा।

*fVIi.kh &* नियुक्ति से पूर्व शासन नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

### 1-7-3 ijh{kk 'kgj %

fyf[kr ijh{kk dk vk;kstu e/;izns'k jkT; ds leLr ftyk eq[;ky;ksa ¼50½ ij fd;k tk;sxk ijUrq dfMdk 1-7¼6½ ,oa dfMdk 1-7¼7½ ds v/khu ijh{kk;sa lEiUu gksxhA वनरक्षक के पदों पर fu;qfDr मध्यप्रदेश राज्य के Nrjiqj ,oa mTtSu जिले को छोड़कर शेष समस्त 48 जिलों हेतु की जायेगी। ( आगर जिले को शाजापुर जिले में ही सम्मिलित किया गया है )

### 1-7-4 esfjV lwph %

व्यापम द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में निर्धारित आवश्यक प्राप्तांक के अनुसार परिणाम की जिलेवार, श्रेणीवार/प्रवर्गवार सूची वन विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी, जिसके आधार पर विभाग द्वारा साक्षात्कार, शारीरिक अर्हता एवं पैदल चाल के परीक्षण की कार्यवाही की जायेगी। विभाग द्वारा साक्षात्कार में अभ्यर्थियों को दिए गए अंकों की सूची तथा शारीरिक परीक्षण एवं पैदल चाल में सफल अभ्यर्थियों की सूची व्यापम को उपलब्ध कराई जायेगी। इसके उपरांत विभाग के निर्देशानुसार व्यापम द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के प्राप्तांकों को जोड़कर अंतिम प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी तथा प्रदर्शित की जावेगी ।

### 1-7-5 ikjLifjd ojh;rk %

लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंक के आधार पर शारीरिक अर्हता एवं पैदल चाल में सफल अभ्यर्थी की वरीयता सूची तैयार की जायेगी। समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवरिष्ठता लिखित परीक्षा में अंकों के आधार पर निर्धारित की जावेगी। लिखित परीक्षा में भी अंक समान होने पर जन्मतिथि के आधार पर आपसी सहवरिष्ठता निर्धारित की जावेगी, अर्थात् जिसकी जन्मतिथि पहले होगी उसे पहले रखा जाएगा। यह आवश्यक नहीं है कि अंतिम CUT- OFF मार्क पर समान अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को चयन सूची में लाया जावे।

### 1-7-6 nLrkostksa@izek.k&i=ksa dk lR;kiu %

लिखित परीक्षा उपरांत विभाग द्वारा लिए जाने वाले साक्षात्कार के समय समस्त दस्तावेजों/प्रमाण–पत्रों आदि का सत्यापन/परीक्षण विभाग द्वारा किया जायेगा।

lk{kkRdkj ds le; vH;fFkZ;ksa dks fuEufyf[kr vfHkys[kksa dh ewy izfr;ka ,oa vfHkizekf.kr vfrfjDr izfr;ka izLrqr djuh gksxh] ftlds ijh{k.k fd;k tk;sxk %&

(i) आयु के प्रमाण हेतु (बोर्ड द्वारा जारी हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण–पत्र, जिसमें जन्मतिथि अंकित हो)

(ii) शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण–पत्र (शिक्षा मण्डल/विश्वविद्यालय से जारी हाईस्कूल/स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण–पत्र)

(iii) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. प्रमाण–पत्र (अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी)

(iv) जीवित बच्चों के जन्मतिथि प्रमाणित करने हेतु अभिलेख (जन्म प्रमाण–पत्र/शाला की अंकसूची/मतदाता पहचान पत्र/राशन कार्ड)

(v) भूतपूर्व सैनिक होने पर संचालक, सैनिक कल्याण द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

(vi) ग्रीनकार्ड धारी होने पर मेडीकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

(vii) अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

(viii) ''विक्रम पुरस्कार'' प्राप्त होने पर मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

(ix) मध्यप्रदेश राज्य निगम/मण्डल का कर्मचारी होने पर संस्थान के प्रमुख द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

(x) स्वयंसेवी, नगर सैनिक तथा नगर सेवा (होमगार्ड) के नॉन कमीशंड अधिकारी होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

(xi) स्थायी मूल निवासी प्रमाण–पत्र ¼rglhynkj@uk;c rglhynkj Lrj ls uhps dk u gks½।

(xii) विधवा होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दिवंगत पति का मृत्यु प्रमाण–पत्र।

(xiii) परित्यक्ता होने के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

1-7-7 लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण/साक्षात्कार में आमंत्रित/शारीरिक माप एवं पैदल चाल में सफल उम्मीदवारों को केवल इसी आधार पर नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। शैक्षणिक योग्यता/जन्म प्रमाण–पत्र एवं अन्य वांछित प्रमाण–पत्रों की विधिवत् जॉच/परीक्षण के उपरांत जिले में तत्समय उपलब्ध प्रवर्ग विशेष के पदों के विरूद्ध नियमानुसार संबंधित वन मण्डलाधिकारी द्वारा नियुक्ति दी जा सकेगी।

## 1-8 ;k=k O;; dk Hkqxrku %

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के पत्र क्रं. एफ–4–4/2013/नियम/चार, दि.13.09.2013 अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने या साक्षात्कार के लिए यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा देने का उल्लेख है। तदानुसार अभ्यर्थियों को वन विभाग द्वारा परीक्षा केन्द्रों पर प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जायेगा।

## 1-9 fu;qfDr dh 'krsZ %

सेवा में भर्ती किये गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा। नियुक्त व्यक्ति को प्रदेश के प्रशिक्षण 'kkykvksa esa प्रशिक्षण gsrq Hkstk tk;sxkA

## 1-10 U;k; {ks=kf/kdkj %

fdlh Hkh fookn dh fLFkfr esa U;k; {ks= e/;izns'k jkT; dh lhek rd gksxkA

## ifjf'k"V&1

## ouj{kdk dh Hkrh grq fjDr ink dh ftyokj] J.khokj o loxokj {kfrt vkj{k.k rkfydk

| स0क्र | वृत्त का नाम | जिला | अनारक्षित | | | | | अनुसूचित जाति | | | | | अनुसूचित जनजाति | | | | | अन्य पिछड़ा वर्ग | | | | | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | निल | | भू.पू.सै. | होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक | | निल | | भू.पू.सै. | होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक | | निल | | भू.पू.सै. | होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक | | निल | | भू.पू.सै | होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक | | |
| | | | ओपन | महिला | ... | ओपन | महिला | ओपन | महिला | .... | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ... | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ... | ओपन | महिला | |
| 1 | बालाघाट | बालाघाट | 29 | 4 | 4 | 5 | 2 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2 | बैतूल | बैतूल | 20 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2 | 2 | 3 | 1 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 85 |
| 3 | | भोपाल | 20 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 4 | भोपाल | सीहोर | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 5 | | विदिशा | 27 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 6 | | रायसेन | 43 | 5 | 5 | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 7 | | राजगढ़ | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | छतरपुर | टीकमगढ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 9 | | पन्ना | 42 | 5 | 5 | 6 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | 2 | 2 | 2 | 1 | 118 |
| 10 | छिंदवाडा | छिंदवाडा | 29 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 11 | ग्वालियर | ग्वालियर | 43 | 6 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 12 | | मुरैना | 15 | 3 | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44 |
| 13 | | श्योपुर | 56 | 8 | 8 | 12 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 127 |
| 14 | | दतिया | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 15 | | भिण्ड | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 16 | होशंगाबाद | होशंगाबाद | 18 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 50 |
| 17 | | हरदा | 15 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 18 | इंदौर | इंदौर | 26 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 19 | | धार | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 20 | | झाबुआ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 21 | | अलिराजपुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 22 | जबलपुर | जबलपुर | 29 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 23 | | कटनी | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 24 | | मण्डला | 35 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 7 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 25 | | डिण्डौरी | 15 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 42 |
| 26 | | खण्डवा | 26 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 67 |
| 27 | खण्डवा | बुरहानपुर | 34 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 80 |
| 28 | | खरगोन | 16 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 29 | | बडवानी | 15 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 55 |
| 30 | रीवा | सिंगरौली | 28 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 31 | | सतना | 13 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 37 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | | सीधी | 22 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 64 |
| 33 | | रीवा | 24 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 55 |
| 34 | सागर | सागर | 63 | 10 | 10 | 14 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 121 |
| 35 | | दमोह | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 36 | सिवनी | सिवनी | 58 | 9 | 9 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 125 |
| 37 | | नरसिंहपुर | 16 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 38 | शहडोल | शहडोल | 16 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 54 |
| 39 | | उमरिया | 16 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 77 |
| 40 | | अनूपपुर | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 30 |
| 41 | शिवपुरी | शिवपुरी | 28 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 65 |
| 42 | | गुना | 34 | 5 | 5 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 43 | | अशोकनगर | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 44 | उज्जैन | शाजापुर | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 45 | | रतलाम | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 46 | | मंदसौर | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 47 | | नीमच | 13 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 48 | | देवास | 30 | 5 | 5 | 6 | 1 | 15 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| ;kx | | | **1018** | **156** | **156** | **211** | **23** | **163** | **24** | **24** | **34** | **3** | **231** | **36** | **36** | **48** | **5** | **151** | **23** | **23** | **31** | **4** | **2400** |

uksV% iR;d ftys d jkLVj vk/kkj ij fu;fDr d le; fjDr ink dh x.kuk dh tkdj fu;fDr dh tkoxhA ink dh l[;k e deh@of) gk ldrh gA

vij i/kku e[; ou lj{kd ¼i'k-AA½
e0i0 Hkkiky

# अध्याय – 2
## मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल
## परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश

## [k.M&v

2-1 (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। vH;Fkh 'k{kf.kd vgrkvk dk HkyhHkkfr v/;;u mijkUr gh vkonu i= HkjA

(ii) अभ्यर्थी आनलाईन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं विकल्पों के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जावेगी।

(iii) vkond dk ,d gh vkonu i= iLrr djuk vfuok; gA ink dh l[;k e vko';drkulkj deh ;k of) dh tk ldrh gA

2-2 (i) <u>आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अनिवार्य रूप से होने चाहीये</u> ।

(ii) आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के लिये विचार क्षेत्र में होने की पात्रता नहीं होगी ।

(iii) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा ।

(iv) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/ संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा।

(v) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी ।

2-3 ijh{kk gky e y tku gr vko';d lkexh %&

(i) मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश–पत्र।

(ii) काला बॉलप्वाइंट पेन।

(ii) फोटोयुक्त पहचान पत्र – मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, अंकसूची मय फोटोग्राफ, बैंक पासबुक मय फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य।

(iv) यदि आवेदक द्वारा उपरोक्त के अलावा अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र का चयन किया जाता है तो वह कौन सा दस्तावेज है इसकी जानकारी अतिरिक्त सह–आई.डी. के रूप में प्रदान करनी होगी। अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।

(v) अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्तानुसार फोटोयुक्त पहचान पत्र परीक्षा तिथि पर साथ नही लाने की स्थिति में ही मण्डल द्वारा जारी प्रवेश–पत्र (टी.ए.सी.) के द्वितीय भाग में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में प्रयोग किया गया फोटो लगाकर **<u>राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर लाना अनिवार्य होगा</u>** , परीक्षार्थी को तभी परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्रता होगी।

**2.4** परीक्षा में किसी भी प्रकार के Calculator उपयोग की मनाही है अर्थात Scientific Calculator, Mobile Phone, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales and whitener आदि पूर्णतः वर्जित है।

## 2-5 io'k&i= ikIr djus dh ifØ;k %&

ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश–पत्र मण्डल की वेबसाईट **www.vyapam.nic.in** से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

ukV& प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ऑनलाईन आवेदन–पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

## 2-6 ijh{kk io'k&i= (Test Admit Card) :-

(i) नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन–पत्रों के प्रवेश–पत्र (Test Admit Card-TAC) मण्डल की वेबसाईट **www.vyapam.nic.in** पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे।

(ii) मण्डल की वेबसाईट पर जारी किया गया टेस्ट एडमिट कार्ड दो–भागों में जारी किया जायेगा जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।

(iii) अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।

(iv) आवेदक यदि आवेदन पत्र में उल्लेखित अनुसार फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ उपस्थित नहीं होता है तो उसे मण्डल के टेस्ट एडमिट कार्ड के द्वितीय भाग में पूर्व में प्रेषित ऑनलाईन आवेदन पत्र वाला फोटो लगाकर उसे राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर लाना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने के पात्रता नही होगी तथा इस प्रकार के अभ्यर्थियों को 'रासा'' में अनुपस्थित अंकित किया जायेगा।

(v) परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, बाये हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तलिपि अंकित करना होगी। प्रवेश–पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

## 2.7 मूल्यांकन पद्धति :–

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero)अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

## 2-8 =fVi.k i'u] mldk fujLrhdj.k ,o cnys e fn;k x;k vd %&

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा विषय विशषज्ञों से प्रश्नपत्र के प्रत्येक प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते है :–

(i) प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।

(ii) प्रश्न की संरचना गलत हो।

(iii) उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।

(iv) कोई भी विकल्प सही न हो।

(v) यदि प्रश्न–पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न–भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।

(vi) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।

(vii) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ द्वारा उचित समझा जाये।

(viii) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न–पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

<u>mnkgj.k 01</u> :– यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{90 \times 100}{(100 - 2)} = 91.83 \quad \text{rounded off to } 92.00$$

<u>mnkgj.k 02</u> :– यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{140 \times 150}{(150 - 2)} = 141.89 \quad \text{rounded off to } 142.00$$

<u>mnkgj.k 03</u> :– यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{190 \times 200}{(200 - 2)} = 191.91 \quad \text{rounded off to 1 92.00}$$

ukV %& lHkh x.kuk dk n'keyo dk nks vadks rd jkmMvkQ fd;k tk;sxkA

**2.9 प्रश्नपुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन :–**

(i) प्रश्न–पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रारूप में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा आयोजन की तिथि के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है ।

(ii) बिन्दु क्रमांक 2.8 अनुसार मण्डल द्वारा प्रश्न–पुस्तिका में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ–साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम ''की'' (आदर्श उत्तर) तैयार की जायेगी ।

(iii) आदर्श उत्तरों के संबंध में मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

**2.10 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :–**

निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) के अंतर्गत माना जावेगा :–

(i) परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।

(ii) अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।

(iii) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।

(iv) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।

(v) अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।

(vi) अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका की अदला–बदली करना।

(vii) प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना।

(viii) नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।

(ix) सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।

(x) सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।

(xi) परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।

(xii) उपरोक्त अनुचित साधनों तथा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा।

(xiii) इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यर्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौपा जायेगा और उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

(xiv) यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एंव उसके स्थान पर परीक्षा में बैठनें वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा ।

(xv) विभाग द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मंडल को अवगत कराया जायेगा, ताकि मंडल स्तर से संबंधित अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सके।

(xvi) परीक्षार्थियों द्वारा ओ0एम0आर0 उत्तरशीट्स में व्हाईटनर का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। मण्डल कार्यालय को व्हाईटनर लगी ओ0एम0आर0 उत्तरशीट्स प्राप्त हाने से इन्हे स्केनर द्वारा स्वीकार नही किया जाता है जिससे तकनीकी रूप से स्केनरर्स में परेशानी होती है तथा इस प्रकार की कार्यवाही परीक्षा

नियमों के भी विपरीत है। अतः व्हाईटनर के प्रयोग वाली ओ0एम0आर0 उत्तर शीटो के ऐसे प्रकरणों को यू0एफ0एम0 समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर परीक्षण उपरांत यू0एफ0एम0 मान्य करते हुए ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता मण्डल स्तर से समाप्त की जावेगी।

(xvii) परीक्षार्थियों के विरूद्व परीक्षा के पूर्व/दौरान/पश्चात परीक्षा संबंधी आपराधिक प्रकरण दर्ज किये जानें अथवा परीक्षा संबंधी आपराधिक प्रकरण में संलिप्ता पाये जाने पर परीक्षण उपरांत यू0एफ0एम0 मान्य करते हुए संबंधित परीक्षार्थियों की अभ्यर्थिता मण्डल स्तर से समाप्त की जावेगी।

## 2-11 ijh{kk ifj.kke dk izdk'ku %&

(i) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व मण्डल की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ–साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।

(ii) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।

(iii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध कराया जावेगा ।

## 2-12 ijh{kk ifj.kke %&

(i) परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड किया जायेगा।

(ii) तद्नुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणामका प्रेषण नहीं किया जायेगा।

## 2-13 e-iz- O;kolkf;d ijh{kk eaMy dk dk;Z izos'k@Hkkxhnkjh@ik=rk ijh{kkvksa dk lapkyu ,oa mldk ifj.kke ?kksf"kr djuk ek= gksxk %&

(i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा।

(ii) मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।

(iii) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से छः माह पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख नष्ट कर दिए जायेंगे।

**2-14 U;kf;d {ks=kf/kdkj %&** परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

## [k.M&c

### 2-15 vkuykbu vkonu&i= d lkFk lyXu fd; tku oky nLrkotk dk fooj.k %&

(i) ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा।

(ii) ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो एवं हस्ताक्षर इमेज का मानक (Image size Min 30KB, Max 200KB, Height Min 200px, Max 300px, width Min 120px, Max 200px, DPI Min100, Max 300) अनुसार स्केन कराकर संलग्न करने होगें। जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होगें।

(iii) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवेदक को स्वयं की हस्तलिपि में दो लाईने स्केन करवाकर संलग्न करनी होगी। इस प्रकार हस्तलिपि के नमूने को 'रासा' पर प्रिंट किया जायेगा जिसका मिलान संबंधित वीक्षक द्वारा परीक्षा के दौरान आवश्यकता पड़ने पर किया जा सकेगा।

(iv) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवी, दसवी अथवा बारहवी की अंकसूची को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

(v) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछ़डा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

(vi) अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये इसकी अनिवार्यता नही होगी तथा अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यह विकल्प आवेदन पत्र में प्रदर्शित नही किया जायेगा।

### 2-16 vkuykbu vkonu i= d lkFk QkVk ,o gLrk{kj lyXu dju lca/kh funi'k%&

(i) ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ अभ्यर्थी को फोटो एवं हस्ताक्षर इमेज का मानक (Image size Min 30KB, Max 200KB, Height Min 200px, Max 300px, width Min 120px, Max 200px, DPI Min100, Max 300) अनुसार स्केन कराकर संलग्न करने होगें।

(ii) जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होगें। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।

(iii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा ।

(iv) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।

(v) उपरोक्त मांपदड के फोटोग्राफ संलग्न नही किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(vi) फोटोग्राफ vkonu Hkju dh frfFk से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा QkVkxkQ ij f[kpoku dh fnukd o vkond d uke dk Li"V mYy[k gkuk pkfg;A

(vii) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।

(viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियॉ सुरक्षित रखा जाना होगा।

(ix) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।

(x) ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होगें।

## 2-17 ,e-ih- vkuykbu fd;kLd ds ek/;e ls vkonu QkeZ Hkjus dh fof/k %&

(i) एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा।

(ii) कियोस्कधारक द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन–पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप भलीभांति भरकर देना होगा, जिसके आधार कियोस्कधारक ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जावेगा।

(iii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्केन कर ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।

(iv) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही–सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।

(v) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन–पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

## 2-18 vkuykbu vkonu Hkjus ds lac/k esa funsZ'k %

(i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते है। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण मीनू के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।

(ii) igpku i= ds ehuw esa ernkrk igpku i=] iudkMZ] vk/kkj dkMZ] M~k;fox ykbZlsal] vdkmaV ikl cqd] ikliksVZ esa ls dksbZ ,d igpku i= dk p;u fd;k tkuk vfuok;Z gSA ... 

(iii) यदि आवेदक द्वारा अन्य पहचान पत्र का चयन किया जाता है rks og nLrkost dkSu lk gS blds tkudkjh vfrfjDr lg&vkbZMh ds :i esa iznku djuh gksxhA

(iv) vkosnd dks vkosnu i= esa 'kjhj ds LFkk;h fpUg rFkk ijh{kk ds le; iLrqr fd;s tkus okys QksVks igpku i= dk fooj.k rFkk Øekad vfuok;Z :i ls vafdr fd;k tkuk gksxkA buds vHkko esa vkosnu i= Lohdkj ugh gksxkA

(v) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(vi) आवेदक द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णाक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।

(vii) आनलाईन आवेदन पत्र में आवेदक का आधार कार्ड क्रमांक पृथक से भी अंकित किये जाने का प्रावधान रखा जावेगा ।

## 2-19 vkuykbu vkosnu&i= Hkjus dh 0;oLFkk %&

(i) ऑनलाईन आवेदन–पत्र एम.पी.आनलाईन की ocsclkbV www.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है।

(ii) इसके अतिरिक्ति स्वंय के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित बेवसाईट्स से डेविट (कोई भीवीजा/मास्टर/मास्टरो काई)/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है।

(iii) सीधी भर्ती–बैकलॉग के रिक्त पदों हेतु अभ्यर्थियो द्वारा कोई परीक्षा शुल्क देय नही होगा।

(iv) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन–पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन–पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाईट के माध्यम से प्रवेश–पत्र प्राप्त किया जा सके।

## 2-20 vkuykbu vkosnu&i= Hkjus gsrq nks fodYi gS %&

¼v½ bUVjusV dSQs }kjk ¼D;kLd½ ¼c½ Lo;a ds dEI;wVj }kjk

(i) आवेदक वेबसाईट www.mponline.gov.in के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत

**Application** क्लिक कर

**Vyapam** लिंक में

परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी funsZ'k@**Instructions** तथा परीक्षा fu;e@**Examination Rules** उपलब्ध होंगे।

(ii) निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें ।

(iii) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही–सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन–पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा।

(iv) ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईने, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्केन कर jpg फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे Browse बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।

(v) ऑनलाईन आवेदन–पत्र को Submit करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन–पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही Submit बटन का उपयोग कर आवेदन–पत्र को जमा करें।

(vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन–पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु proceed to payment बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :–

¼v½ ØsfMV@MsfcV dkMZ ¼c½ bUVjusV cSfdax

## 2-21 ØsfMV@MsfcV dkMZ ds ek/;e ls ijh{kk 'kqYd dk Hkqxrku%&

(i) आवेदन–पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।

(ii) क्रेडिट / डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट / डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।

(iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

## 2-22 baVjusV cSafdax ds ek/;e ls ijh{kk 'kqYd dk Hkqxrku %&

(i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई. डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।

(ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2-23 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट / डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर Unpaid Application लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन–पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन–पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया / करवाया जा सकता है।

## 2-24 fu/kkZfjr frfFk esa tek fd, x, vkWuykbZu vkosnu i= esa la'kks/ku dh O;oLFkk

(i) ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओ के आधार पर होगीः–

(ii) ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।

(iii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन–पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।

(iv) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन–पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।

(v) उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा / अजजा / अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी।

(vi) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।

(vii) संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पति के नाम में किसी भी प्रकार का संशोधन नही किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी।

(viii) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

(ix) ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, व्यापम आवेदन–पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई–मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

(x) संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा व किसी भी आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नही किया जायेगा।

## 2-25 ,d ls vf/kd vkWuykbZu vkosnu&i= Hkjus lca/kh funsZ'k %&

(i) ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन–पत्र की जानकारी यथा नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते है ? यदि आवेदक द्वारा ''हॉ'' विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन–पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन–पत्र ही मान्य होगा।

(ii) अभ्यर्थी द्वारा विकल्प ''हॉ'' का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई–मेल आईडी पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन–पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी।

(iii) ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन–पत्र के लिए पुनः शुल्क का भुगतान करना होगा।

## 2-26 vkWuykbZu vkosnu&i= dk fujLrhdj.k %&

(i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण मण्डल स्तर पर सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(iii) इस संबंध में मण्डल द्वारा कोई भी पत्राचार नही किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

2-27 ऑनलाईन आवेदन–पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755 - 4019400 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

**2.28** परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियमपुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।

2-29 म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 3–17/2014/1/3 भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2014 के अनुसार आदेशित किया गया है कि व्यापम के माध्यम से चयन सूची जारी होने के दिनांक से अधिकतम 03 माह के भीतर चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकरण में वैधता अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। यदि ऐसे प्रकरण परिलक्षित होते हैं तो इसके जिम्मेदार विभाग प्रमुख होंगे।

2-30 cxk] lgkfj;k ,o Hkkfj;k tutkfr;k d vH;fFk;k d fy, vkonu çfØ;k % &

(i) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना ( मध्यप्रदेश राजपत्र, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल क्रमांक 337 दिनांक 02.08.2014 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजातियों के ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदित पद हेतु fu/kkfjr U;ure 'kS{kf.kd vgZrk को पूर्ण करते हैं, वे अनुसूचित जनजाति संवर्ग में विज्ञापित पदों के विरूद्ध अपने आवेदन पत्र, आवेदन भरने की प्रस्तावित अन्तिम तिथि तक हार्ड कापी में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों को संलग्न करते हुये सीधे नियुक्ति संबंधी कार्यवाही हेतु fu;qfDr d fy; ftyk d ukMy ou e.My vf/kdkjh को प्रेषित करेगें।

(ii) संबधित विभाग द्वारा परीक्षा की तिथि के पूर्व बैगा, सहारिया एवं भारिया अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों के परीक्षण उपरान्त उनकी नियुक्ति संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। इस कारण से विभाग के अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित पदों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होता है तो संशोधित पदों की आरक्षण तालिका व्यापम को उपलब्ध कराई जायेगी।

(iii) व्यापम द्वारा अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित पदों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होता है तो एक संक्षिप्त संशोधन विज्ञापन जारी किया जायेगा जो अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये बंधनकारी होगी ।

(iv) अनुसूचित जनजाति संवर्ग के रिक्त पदों के विरूद्ध बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों की नियुक्ति उपरान्त, परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को इस संवर्ग के शेष पदों हेतु परीक्षा में बैठने का विकल्प विद्यमान रहेगा।

(v) अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित सभी पदों की पूर्ति यदि बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों से ही हो जाती है तो ऐसी स्थिति में इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी के पदों के लिये परीक्षा में सम्मिलित होने का विकल्प विद्यमान रहेगा।

(vi) तदुपरांत व्यापम द्वारा अन्य श्रेणियों के पदों तथा अनुसूचित जनजाति के संशोधित पदों के लिये परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा ।

# [k.M&l

## 3-31 vkonu i= Hkjus dh le;kof/k

| ऑनलाईन आवेदन पत्र | | | ऑनलाईन आवेदन में संशोधन | | |
|---|---|---|---|---|---|
| भरने की प्रारंभिक तिथि | भरने की अंतिम तिथि | भरने के कुल दिवस | करने की प्रारंभिक तिथि | करने की अंतिम तिथि | करने के कुल दिवस |
| 29.04.2015 | 28.05.2015 | 30 | 29.05.2015 | 04.06.2015 | 07 |

## 3-32 fyf[kr ijh{kk dk fooj.k

| स.क्रं. | परीक्षा | दिनांक | दिन | अवधि | समय | अधिकतम अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | प्रश्न पत्र | 16.08.2015 | रविवार | 02 घंटे | प्रातः 10:00 बजे से 12:15 बजे तक | 70 |

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे।

परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर काले बॉल प्वाइंट पेन से काला करना होगा।

## 3-33 (i) ijh{kk 'kqYd %&

| स. क्र. | प्रश्नपत्रों की संख्या | अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये | म.प्र. के मूल निवासियों के लिये अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये | सीधी भर्ती बैकलॉग तथा बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये | आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑन लाईन का पोर्टल शुल्क |
|---|---|---|---|---|---|
| 01- | ,d | 500/— | 250/— | dksbZ 'kqYd ugha | 70@& |

## (ii) la'kks/ku fd;s tkus ij ns; 'kqYd

| स.क. | प्रश्नपत्रों की संख्या | आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर शुल्क | आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर पोर्टल शुल्क |
|---|---|---|---|
| 01- | ,d | 100/— | 50/— |

## 3-34 ijh{kk 'kgj %&

लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी। अभ्यर्थियों की शहरवार संख्या के आधार पर एवं मण्डल अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरो में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है।

| क्रं. | लिखित परीक्षा केन्द्र | क्रं. | लिखित परीक्षा केन्द्र |
|---|---|---|---|
| 1. | बालाघाट | 2. | खण्डवा |
| 3. | बैतूल | 4. | बुरहानपुर |
| 5. | राजगढ | 6. | खरगोन |
| 7. | भोपाल | 8. | बडवानी |
| 9. | विदिशा | 10. | रीवा |
| 11 | रायसेन | 12 | सतना |
| 13 | सीहोर | 14 | सिंगरौली |
| 15 | टीकमगढ़ | 16 | सीधी |
| 17 | पन्ना | 18 | सागर |
| 19 | छिंदवाड़ा | 20 | दमोह |
| 21 | ग्वालियर | 22 | सिवनी |
| 23 | मुरैना | 24 | नरसिहपुर |
| 25 | श्योपुर | 26 | शहडोल |
| 27 | दतिया | 28 | उमरिया |
| 29 | भिण्ड | 30 | अनूपपुर, |
| 31 | होशंगाबाद | 32 | शिवपुरी |
| 33 | हरदा | 34 | गुना |
| 35 | इंदौर | 36 | अशोकनगर |
| 37 | धार | 38 | शाजापुर (आगर जिला समाहित है) |
| 39 | झाबुआ | 40 | रतलाम |
| 41 | अलीराजपुर | 42 | मंदसौर |
| 43 | जबलपुर | 44 | नीमच |
| 45 | मण्डला | 46 | देवास |
| 47 | डिण्डौरी | 48 | कटनी |
| 49 | छतरपुर | 50 | उज्जैन |

# अध्याय – 3

## लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम

| स0क्र0 | विषय | प्रश्न पत्र का स्तर | कुल प्रश्न/अंक |
|---|---|---|---|
| 01 | गणित | दसवी स्तर का | **40** |
| | सामान्य ज्ञान | | **30** |
| | | **योगः–** | **70** |

## गणित पाठ्यक्रम

**1.** **अंक गणित :–**

संख्यायें :– परिमेय संख्या तथा अपिरमेय संख्याएं, वास्तविक संख्या, स्थानीय मान, मूलभूत संक्रियायें, क्रम विनिमय, साहचर्य वितरण के नियम, संख्या रेखा पर निरूपण, भिन्न एवं दशमलव निरूपण, लं.स/ल.म.स. (सांत एवं असांत) करणी, घात एवं घांताकों के नियम।

**2.** **व्यवहारिक गणित :–** प्रतिशत, औसत, अनुपात–समानुपात, समय, कार्य एवं दूरी।

**3.** **बीज गणित :–** बहुपद एवं उनकी द्यात, बहुपदों का योग, घटाना, गुणा, भाग, गुणनखण्ड, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। सरल समीकरण, युगपत समीकरण। बीजीय सूत्र – $(x+a)(x+b)$, $(a+b)^2$ $(a-b)^2$, $a^2-b^2$, $(a+b)^3$ $(a-b)^3$ आदि का उपयोग।

**4.** **ज्यामिति :–** त्रिभूज एवं चतुर्भूज के प्रकार एवं उनके गुणधर्म। प्रतिच्छेदी रेखएं समान्तर रेखाएं संगति कोण, एकान्तर कोण, अंतः कोण, समान्तर रेखाओं से संबंधित प्रमेय। त्रिभुज, चतुर्भज में समरूपता, सममिति, सर्वागसमता एवं उससे संबंधित शर्ते। विभिन्न रेखागणितीय आकृतियों की रचना एवं स्पर्श रेखा।

**5.** **त्रिकोणमिति :–** विभिन्न त्रिकोणमिति अनुपात एवं उनसे संबंधित सर्वसमिकायें। उन्नयण कोण, अवनमन कोण, ऊॅचाई – दूरी।

**6.** **क्षेत्रमिति :–** सभी रेखागणितीय आकृतियों का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, आयतन, कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल।

**7.** **सांख्यिकीः–** निर्देशांक एवं आरेखों का प्रारंभिक ज्ञान। असमूहीकृत एवं समूहीकृत आंकड़े बारम्बारता, मध्यमान, मध्यांक एवं बहुलक संभाव्यता की गणना।

## सामान्य ज्ञान पाठ्यक्रम

सामान्य ज्ञान मुख्यतः मध्यप्रदेश स्तर का रहेगा।

# Maths Syllabus
## Class - 10th

**Number System :-** Rational and Irrational number, Real number, Place value, fundamental calculation commutative, Association and Distributive Laws, Represent number on the number line, change numbers in fractions and decimals (terminate or non-terminate) LCM & HCF, surd, Power and Laws of Indices. Percentage Average, ratio proportion calculation of Time , Work and distance.

**Algebra -** Polynomial and Para, Fundamental Calculation, multiple, factorise of polynomial, LCM & HCF, linear Education in one & two variable. Algebraic expressions and Identities and its uses ex
$(x+a)\ (x+b)$, $(a+b)^2\ (a-b)^2$ , $(a^2 - b^2)\ (a+b)^3\ (a-b)^3$ etc.

**Geometry of Coordinate Geometry -**

Types of Angle, Triangle and Quadrilateral and its properties. Parallel line, Corresponding angles, Alternate angles, interior angles and related identities. Identities related to symmetry, congruent and similarity of angle Triangle, etc circle and their properties. Tangent of circle fundamental coordinate geometry.

**Trigonometry -** Trigonometric ratio of specific and complementary angle. Trigonometry Identities use of Trigonometry (Height & Distances)

**Menstruation -** Radius, Perimeter, circumference area, surface area , whole surface, volume of all different types of shapes, area of wall.

**Statistics and Probability -**

Visual and graphical presentation of all types of data, mean, median and mode, calculate probability.

## General Knowledge Syllabus

General Knowledge mainly Madhya Pradesh Level.

<u>ik:i&1</u>

(देखें नियम 2.8 एवं 2.9)

## i'u&ifLrdk d i'uk d lc/k e vH;konu

¼ukV& ;g i i= doy ijh{kkFkh }kjk gh Hkjdj fu/kkfjr le;kof/k rd
e.My dk;ky; e miyC/k djku ij fopkj {k= e fy;k tk,xk ½

| | |
|---|---|
| परीक्षा का नाम | |
| अभ्यर्थी का अनुक्रमांक | |
| अभ्यर्थी का नाम | |
| अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र | |
| अभ्यर्थी का सेट क्रमांक | |

उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न–पत्र में निम्नलिखित प्रश्न उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :–

| l0Ø0 | i'u Øekd | =fV dk fooj.k | lk{; d :i e iLrr nLrkot dk fooj.k | lyXud Øekd |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है । कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें ।

आवेदक के हस्ताक्षर..................................
आवेदक का नाम......................................

स्थान ...........................
दिनांक ...........................

ik:i&2

(देखें नियम 2.8 एवं 2.9)

## vkn'k mRrjksa ij vkifRr gsrq vH;kosnu

¼ukV& ;g i=i= dsoy ijh{kkFkhZ }kjk gh Hkjdj fu/kkZfjr le;kof/k rd e.My dk;kZy; esa miyC/k djkus ij fopkj {ks= esa fy;k tk,xk ½

| परीक्षा का नाम | |
|---|---|
| अभ्यर्थी का अनुक्रमांक | |
| अभ्यर्थी का नाम | |
| अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र | |
| अभ्यर्थी का सेट क्रमांक | |

मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित सेट क्रमांक .......... के आदर्श उत्तर में निम्नलिखित उत्तर त्रुटिपूर्ण है :–

| l-Ø- | mRrj Øekd | vkn'k dqath esa inff'kZr mRrj | vH;FkhZ ds vuqlkj mRrj | mRrj ds leFkZu esa iLrqr nLrkost dk fooj.k | layXud Øekd |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है।

आवेदक के हस्ताक्षर...................................

दिनांक ...........................

ik:i&3

# e/;izns'k dh vkfne tutkfr leqnk; tSls&cSxk] lgkfj;k ,oa Hkkfj;k tutkfr ds vH;fFk;ksa gsrq vkosnu i= dk izk:i

ijh{kk dk uke& ouj{kd dh fjDr inksa ij HkrhZ gsrq p;u ijh{kk & 2015

| | | |
|---|---|---|
| 1. | आवेदक का नाम | :— ........................................................ |
| 2. | पिता का नाम | :— ........................................................ |
| 3. | माता का नाम | :— ........................................................ |
| 4. | लिंग (पुरूष / महिला) | :— ........................................................ |
| 5. | जन्मतिथि | :— ........................................................ |
| 6. | आदिम जनजाति का नाम (जैसे—बैगा, सहारिया, एवं भारिया) | :— ........................................................ |
| 7. | वर्ग (होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक / भूतपूर्व सैनिक) | :— ........................................................ |
| 8. | शैक्षणिक योग्यता का विवरण | :— ........................................................ |
| 9. | विशेष / अन्य विवरण | :— ........................................................ |

आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटाग्राफ संलग्न करे

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर:—.................................................................

दिनांक :— ..............................................................

निवास का पता :— ..............................................................

..............................................................

मोबाईल / दूरभाष नं. :— ..............................................................

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रमाण पत्र

1. कक्षा दसवी की अंकसूची
2. कक्षा बारहवी / अथवा पुरानी पद्धति से हायर सेकेण्ड्री की अंकसूची
3. मध्यप्रदेश का मूलनिवासी प्रमाण पत्र
4. जाति प्रमाण पत्र :—

| | |
|---|---|
| lgkfj;k vkfne tutkfr& | जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी,गुना तथा अशोकनगर के अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र |
| cSxk vkfne tutkfr& | जिला मण्डला, डिण्डोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर के अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र |
| Hkkfj;k vkfne tutkfr& | जिला छिंदवाडा की तामिया विकासखण्ड के अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र |

5. होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक / भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र

# ou j{kd ds in fjDr inks gsrq e/;izns'k ds vkfne tutkfr leqnk; tSls&cSxk] lgfj;k ,oa Hkkfj;k tutkfr ds vH;fFkZ;ksa fty s okj vkWQ ykbZu vkosnu i= Hkjs tkus gsrq 'kgjokj irk ,oa nqjHkk"k Ø0 dk fooj.k

| Ø- | 'kgj | o`r dk;kZy; ds vf/kdkjh dk uke ,oa irk | Qksu uacj | ftys ds uksMy oue.My vf/kdkjh dk uke ,oa irk] tgka vkosnu i= Hkkjs tkus gSA | oue.My dk;kZy; Qksu ua- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ckyk?kkV | मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त बालाघाट, सिवनी रोड सिविल लाईन बालाघाट, पिन–481001, | 07632 241201 | वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण (सा) वनमंडल बालाघाट सिवनी रोड सिविल लाईन बालाघाट, पिन–481001, | 07632–248414 |
| 2 | cSrwy | मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त बैतूल,कालापाठा बैतूल, पिन–460001, | 07141 234396 | वनमण्डलाधिकारी, उत्तर सामान्य वनमंडल बैतूल कालापाठा बैतूल, पिन–460001, | 07141–234204 |
| 3 | Hkksiky | मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त भोपाल, लिंक रोड नं.–1 खेल परिसर, 74 बंगला, भोपाल, पिनकोड–462003, | 0755 2674345 , | वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमंडल राजगढ़, राजमहल प्रांगण स्टेट बैंक आफ इंडिया राजगढ के पास राजगढ (ब्यावरा), पिन–465661, | 07372–255007 |
| 4 | | | | वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमंडल भोपाल, लिंक रोड नं.–1 खेल परिसर, 74 बंगला, भोपाल, पिनकोड–462003, | 0755–2674322, 2674359 |
| 5 | | | | वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमंडल विदिशा, कलेक्ट्रेट के पास, बाररूम के सामने, विदिशा, पिनकोड–464001, | 07592–232967 |
| 6 | | | | वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमंडल रायसेन, जिला न्यायालय के सामने, सांची रोड, रायसेन, पिनकोड–464551, | 07482–222027 |
| 7 | | | | वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमंडल सीहोर, रेल्वे स्टेशन फाटक के पास, गल्ली मंडी रोड, सीहोर पिनकोड–466001, | 07562–222767 |
| 8 | Nrjiqj | मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त छतरपुर, पुराना बिजावर नाका सागर रोड छतरपुर, पिनकोड–471001 | 07682 242107 | वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल टीकमगढ़, मामौन दरवाजा, अम्बेडकर रोड टीकमगढ़, पिनकोड–472001 | 07683–245315 |
| 9 | | | | वनमण्डलाधिकारी, उत्तर सामान्य वनमण्डल पन्ना, जगात चौकी, डायमण्ड चौराहा पन्ना, पिनकोड–488001 | 07732–252029 |
| 10 | fNanokMk | मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त छिंदवाड़ा, खजरी चौक, चक्कर रोड़ छिंदवाड़ा, पिन कोड–480001, | 07162 245470 | वनमण्डलाधिकारी, पूर्व वनमण्डल छिंदवाड़ा, जिला एवं सत्र न्यायालय के पास सिविल कोर्ट रोड छिंदवाड़ा, पिन कोड–480001, | 07162–243457 |
| 11 | Xokfy;j | मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त ग्वालियर, सेन्ट्रल नर्सरी रूपसिंह स्टेडियमके पास, सिटी सेन्टर, ग्वालियर, पिन कोड–474002, | 0751 2340050 | वनमण्डलाधिकारी,, सामान्य वनमण्डल ग्वालियर,सेन्ट्रल नर्सरी रूपसिंह स्टेडियम के पास, सिटी सेन्टर, ग्वालियर, पिन कोड–474002, | 0751–2341166 |
| 12 | | | | वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल मुरैना, ए. बी. रोड, जोरी काम्पलक्स, मुरैना, पिनकोड–476001, | 07532–234742 |
| 13 | | | | वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल श्योपुर, रेल्वे स्टेशन के पास बिजलीघर रोड, श्योपुर पिनकोड–476337, | 07530–220002 |
| 14 | | | | वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल दतिया, मनिहारपुरा होम गार्ड आफिस के पास, बीट दिनारा रोड, दतिया, पिनकोड–475661, | 07522–237467 |
| 15 | | | | वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल भिण्ड,वाटर बॉक्स रोड, भिण्ड पिनकोड–477001, | 07534–2339848 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | gks'kaxkckn | मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त होशंगाबाद, नर्मदा महाविद्यालय के सामने, होशंगाबाद, पिनकोड–461001, | 07574 252521 | वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल होशंगाबाद, कलेक्ट्रेट के पास, होशंगाबाद, पिनकोड–477001, | 07574–254178 |
| 17 | | | | वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल हरदा पॉलीटेक्निक के पास, हरदा, पिनकोड–461001, | 07577–222003 |
| 18 | bUnkSj | मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त इन्दौर, नवरतन बाग परिसर, इंदौर पिनकोड–452001, | 0731 2491831 | वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल इंदौर नवरतन बाग परिसर, इंदौर पिनकोड–452001, | 0731–2490239 |
| 19 | | | | वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल धार मांडव नाके के पास, धार पिनकोड–454001, | 07292–222250 |
| 20 | | | | वनमण्डलाधिकारी,, सामान्य वनमण्डल झाबुआ सरदार पटेल मार्क, झाबुआ पिनकोड–457661, | 07392–243316 |
| 21 | | | | वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल अलीराजपुर काष्ठागार डिपो केम्पस (खण्डवा–बड़ोदा मार्ग) अलीराजपुर पिनकोड–457887, | 07394–234530 |
| 22 | tcyiqj | मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त जबलपुर, एल्गिन हास्पीटल के सामने, रेल्वे रोड, जबलपुर, पिनकोड–482001, | 0761 2624341 | वनमण्डलाधिकारी,, सामान्य वनमण्डल जबलपुर एल्गिन हास्पीटल के सामने, रेल्वे रोड, जबलपुर, पिनकोड–482001, | 0761–2624195 |
| 23 | | | | वनमण्डलाधिकारी,, पूर्व सामान्य वनमण्डल मण्डला देवदरा राड, मण्डला पिनकोड–481661, | 07642–252423 |
| 24 | | | | वनमण्डलाधिकारी,, सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी, वन विभाग परिसर, मैन रोड उत्कृष्ट विद्यालय के सामने, डिण्डौरी, पनकोड–481880, | 07644–234024 |
| 25 | | | | वनमण्डलाधिकारी,, सामान्य वनमण्डल कटनी महाराणा प्रताप वार्ड राष्ट्रीय राजमार्ग, जबलपुर रोड झिंझरी, कटनी, पिनकोड–483051, | 07622–227417 |
| 26 | [k.Mok | मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त खण्डवा, सिविल लाईन, खण्डवा, पिनकोड–450001, | 0733 2224120 | वनमण्डलाधिकारी,, सामान्य वनमण्डल खण्डवा सिविल लाईन, खण्डवा, पिनकोड–450001, | 0733–2223244 |
| 27 | | | | वनमण्डलाधिकारी,, सामान्य वनमण्डल बुरहानपुर नेहरू स्टेडियम के सामने, रास्तीपुरा बुरहानपुर, पिनकोड–450331, | 07325–251280 |
| 28 | | | | वनमण्डलाधिकारी,, सामान्य वनमण्डल खरगोन नगर पालिका टाउन हॉल के सामने सनावद रोड, खरगोन पिनकोड–451001, | 07282–233982 |
| 29 | | | | वनमण्डलाधिकारी,, सामान्य वनमण्डल बडवानी कारंजा चौराहा, बडवानी, पिनकोड–451551, | 07290–222038 |
| 30 | jhok | मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त रीवा, जयंती कुंज झिरिया सेन्ट्रल स्कूल मार्ग रीवा, पिनकोड–486001, | 07662 241689 | वनमण्डलाधिकारी,, सामान्य वनमण्डल रीवा जयंती कुंज झिरिया सेन्ट्रल स्कूल मार्ग रीवा, पिनकोड–486001, | 07662–251335 |
| 31 | | | | वनमण्डलाधिकारी,, सामान्य वनमण्डल सतना मुख्त्यारगंज रेल्वे फाटक के पास, सिविल लाईन सतना, पिनकोड–485001, | 07672–223355 |
| 32 | | | | वनमण्डलाधिकारी,, सामान्य वनमण्डल सिंगरौली बस स्टेण्ड रोड, महाराज होटल के पास, मोरवा सिंगरौली, पिनकोड–486889, | 07805–268606 |
| 33 | | | | वनमण्डलाधिकारी,, सामान्य वनमण्डल सीधी सम्राट (पृथ्वीराज सिंह) चौराहा से कोतवाली रोड, सीधी पिनकोड–486661, | 07822–252235 |
| 34 | lkxj | मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त सागर, पोददार कालोनी के सामने, वन परिसर लिली रोड, सागर पिनकोड–470002, | 07582 236262 | वनमण्डलाधिकारी,, दक्षिण सामान्य वनमण्डल सागर पोददार कालोनी के सामने, वन परिसर लिली रोड, सागर पिनकोड–470002, | 07582–236215 |
| 35 | | | | वनमण्डलाधिकारी,, सामान्य वनमण्डल दमोह पुलिस ग्राउण्ड सिविल वार्ड–4, दमोह पिनकोड–470661, | 07812–222541 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | flouh | मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त सिवनी, जबलपुर रोड ज्यारत नाका के पास, सिवनी पिनकोड–480661, | 07692 220594 | वनमण्डलाधिकारी,, दक्षिण सामान्य वनमण्डल सिवनी कलेक्टर कार्यालय के पास महारानी लक्ष्मीबाई मार्ग, सिवनी, पिनकोड–480661, | 07692–220530 |
| 37 | | | | वनमण्डलाधिकारी,, सामान्य वनमण्डल नरसिंहपुर महात्मा गांधी चौराहा, सर्किट हाउस के पास, नरसिहपुर, पिनकोड–487001, | 07792–230624 |
| 38 | 'kgMky | मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त शहडोल, पुराना नगर पालिका चौक मैनरोड, शहडोल, पिनकोड–484001 | 07652 245361, | वनमण्डलाधिकारी,, दक्षिण सामान्य वनमण्डल शहडोल न्यू गांधी चौक बुढ़ार रोड, शहडोल पिनकोड–484001, | 07652–240304 |
| 39 | | | | वनमण्डलाधिकारी,, सामान्य वनमण्डल उमरिया सगरा मंदिर रोड, रेल्वे चौक उमरिया पिनकोड–484661, | 07653–222217 |
| 40 | | | | वनमण्डलाधिकारी,, सामान्य वनमण्डल अनूपपुर कोतवाली के सामने, अनूपपुर, पिनकोड–484224, | 07659–222038 |
| 41 | f'koijh | मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त शिवपुरी, वन विद्यालय, शिवपुरी पिनकोड–473551 | 07492 223392 | वनमण्डलाधिकारी,, सामान्य वनमण्डल शिवपुरी कोठी नं.–11, ग्वालिया बायपास ए.बी. रोड, शिवपुरी पिनकोड–473551, | 07492–221012 |
| 42 | | | | वनमण्डलाधिकारी,, सामान्य वनमण्डल गुना फारेस्ट कालोनी रेल्वे स्टेशन रोड, गुना पिनकोड–473001, | 07542–259650 |
| 43 | | | | वनमण्डलाधिकारी,, सामान्य वनमण्डल अशोकनगर बरखेडी गुना रोड, अशोकनगर पिनकोड–473335, | 07543–221120 |
| 44 | mTtu | मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त उज्जैन, दमदमा उदयन मार्ग कोठी रिंग रोड, उज्जैन पिनकोड–456010 | 0734 2512101 | वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल शाजापुर टॉवर के पास, ए.बी. रोड, शाजापुर पिनकोड–465001, | 07364–227157 |
| 45 | | | | वनमण्डलाधिकारी,, सामान्य वनमण्डल रतलाम वन विभाग परिसर सागौद रोड, रतलाम पिनकोड–457001, | 07412–270418 |
| 46 | | | | वनमण्डलाधिकारी,, सामान्य वनमण्डल मंदसौर महू–नीमच मार्ग, मंदसौर, पिनकोड–458001, | 07422–255519 |
| 47 | | | | वनमण्डलाधिकारी,, सामान्य वनमण्डल नीमच जिला चिकित्सालय के पास, महू रोड, नीमच, पिनकोड–458441, | 07423–226605 |
| 48 | | | | वनमण्डलाधिकारी,, सामान्य वनमण्डल देवास ताराणी कालोनी ए.बी. रोड, देवास, पिनकोड–455001, | 07272–253020 |